राष्ट्रीय गोकुल मिशन

योजना

विकास कार्यक्रम की उप योजना।
संशोधित और पुनर्गठित योजना **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** की शुरुआत की गयी है जिसे 2021-2022 से 2025-26 तक लागू किया जायेगा।

कार्यक्षेत्र और संचालन का क्षेत्र

योजना को पूरे देश में लागू किया गया है और दिशानिर्देशों में उल्लेखित सभी घटक वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

उद्देश्य

क उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संधारणीय तरीके से गायों की उत्पादकता एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए।

ख प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उपयोग का प्रसार।

ग प्रजनन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का विस्तार।

घ वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशियों और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

वित्त पोषण प्रतिरूप

निम्नलिखित घटकों को छोड़कर योजना के सभी घटकों के लिए भारत सरकार से 100% अनुदान सहायता :

क) नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए पात्र उद्यमी, व्यक्ति, एसएचजी, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, धारा 8 कंपनियों को 50% पूंजी सब्सिडी

ख) सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग पर किसानों को 50% सब्सिडी, और

ग) पशुओं में आईवीएफ का उपयोग करके सुनिश्चित गर्भावस्था प्राप्त करने वाले किसानों / पशुपालकों के लिए 5,000 रुपये की सब्सिडी

क्रियान्वयन एजेंसियां

राज्य पशुधन विकास बोर्ड* / राज्य दुग्ध संघ* /
सी एफ एस पी और टी आई, सी सी बी एफ, सी एच आर एस, एन डी डी बी / आई सी ए आर / आई सी ए आर संस्थानों

*** राज्य सरकारें राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और योजना में भाग लेने वाली एजेंसियों पर निर्णय ले सकती हैं।**

मुख्य विशेषताऐं

योजना निम्नलिखित के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है :

क) नस्ल सुधारः

(i) वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण;

(ii) सांड उत्पादन कार्यक्रम : संतति परीक्षण, पूर्वज चयन, जीनोमिक्स, त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (आईवीएफ प्रौद्योगिकी);

(iii) नस्ल गुणन फार्म की स्थापना

ख) एआई कवरेज का विस्तारः

(i) राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम;

(ii) मैत्री (MAITRIs) की स्थापना;

(iii) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (सेक्स सॉर्टेड सीमेन);

ग) स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण

घ) कौशल विकास : पेशेवरों, एआई तकनीशियन आदि का प्रशिक्षण;

ई) किसान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

लक्ष्य समूह / लाभार्थी / लाभ

जाति, वर्ग और लिंग निरपेक्ष डेयरी किसान ।

(i) एनएआईपी के तहत किसानों के दरवाजे पर मुफ्त एआई सेवाएं।

(ii) एनएआईपी के तहत लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे और किसानों की आय में तीन साल बाद सालाना रुपये 21,500 की वृद्धि होगी।

(iii) आईवीएफ तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (एबीआईपी) के तहत किसानों को 5,000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था की सब्सिडी उपलब्ध है।

(iv) आईवीएफ तकनीक का उपयोग कर एबीआईपी के तहत भाग लेने वाले किसानों की आय में 3 साल बाद 60,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि होगी।

(v) सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करके सुनिश्चित गर्भावस्था प्राप्त करने पर किसानों को 750 रुपये की सब्सिडी।

(vi) हब एंड स्पोक मॉडल में नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

क्रियान्वयन एजेंसियां योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करेंगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से डीएएचडी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। केंद्रीय एजेंसियां / एन डी डी बी / आई सी ए आर सीधे डी ए एच डी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। योजना के तहत निधियां पी एफ एम एस के माध्यम से सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों के खाते में जारी की जाएंगी।

आवेदन पत्र

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं। दिशानिर्देश वेबसाइट **https://dahd.nic.in/sites/default/filess/Operational%20guidelines_RGM.pdf** पर भी उपलब्ध हैं।

संपर्क व्यक्ति

डॉ भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त,
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कमरा नंबर 479 दूरभाष नंबर 011-23383699

विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट **www.dahd.nic.in** को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।

विवरण् के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

सत्यमेव जयते

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार